न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :–16/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2023/79)

उनवानी प्रकरणः–

सुन्दरलाल छावरा पुत्र श्री बालमुकुन्द जाति छावरा निवासी ए33 फेस–2 राजीव नगर बेगमपुर उत्तर पश्चिम दिल्ली ———————————— प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक(प्रथम) —————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत वाहन सुपुर्दगी (ट्रक)
नम्बर आर. जे. 18जी. बी. 3636

उपस्थिति : –

प्रार्थी की ओर से :– श्री जयसिंह परमारएडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से :– अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय **दिनांक 12.11.2024**

प्रार्थी सुन्दरलाल छावरा पुत्र श्री बालमुकुन्द जाति छावरा निवासी ए33 फेस–2 राजीव नगर बेगमपुर उत्तर पश्चिम दिल्ली ने एक प्रार्थना पत्र थाना सैपऊ में दर्ज एफ. आई. आर. नम्बर 72/2022 अन्तर्गत धारा 3,5,6,8 व 9 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर आर. जे. 18जी. बी. 3636 को सुपुर्दगी में दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथनकिया है कि प्रार्थी ट्रक नम्बर आर. जे. 18 जी. बी. 3636 का रजिस्टर्ड स्वामी एवं आधिपत्यधारी है जिसे अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है। प्रार्थी के उक्त ट्रक को बिना किसी वजह थाना सैपऊ ने जप्त कर रखा है उक्त ट्रक की पुलिस थाना सैपऊ को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी के उक्त ट्रक को ज्यादा समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तो उसमें तकनीकी खराबी आने की सम्भावना है। प्रार्थी उक्त ट्रक को अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी मुताविक आदेश सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा ट्रक नम्बर आर. जे. 18जी.बी. 3636 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिलाया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना सैपऊ से प्रकरण से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई एवं अप्रार्थी को तलव किया गया । अप्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी को तलव किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री अनुराग पाराशर सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना के समर्थन में ट्रक का रजिस्ट्रेशन सार्टीफिकेट की प्रमाणित प्रति, बीमा की प्रमाणित प्रति, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, एवं प्रकरण में न्याया0 न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ में प्रस्तुत चार्जशीट नम्बर 257/2022 दिनांक 22.02.2022की प्रमाणित प्रति मय गवाहन 161 सीआरपीसी एवं मुख्तारनामा की प्रमाणित प्रति पेश की ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी जप्तशुदा ट्रक नम्बर आर. जे. 18 जी. वी. 3636 का रजिस्टर्ड स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त जप्तशुदा वाहन दिनांक 02.02.2022 से असलम पुत्र साबू जाति मुसलमान निवासी 363 सेक्टर 6 सी ब्लॉक आवास विकास कालोनी सिकन्दरा थाना जगदीशपुरा जिला आगरा उ0प्र0 को जरिये मुख्तारनामा आम (पॉवर ऑफ अटार्नी) से सुपुर्दगी में दे रखा है तथा अपने सम्पूर्ण देखरेख व चालाने के अधिकार दे रखे है। वक्त घटना दिनांक 15.03.2022 को उक्त वाहन पर चालक असलम पुत्र साबू था। वाहन चालक मुलजिम असलम पुत्र साबू के विरूद्व न्याया0 न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ में चार्जशीट नम्बर 257/2022 दिनांक 22.02.2022 को प्रस्तुत की जा चुकी है। वाहन चालक असलम के उक्त कृत्य की जानकारी प्रार्थी को कभी नही रही। प्रस्तुत चार्जशीट में मुलजिम के रूप में प्रार्थी का नाम नहीं है। प्रार्थी के उक्त जप्तशुदा ट्रक की पुलिस थाना सैपऊ को अब कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन को ज्यादा समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तो उसमें तकनीकी खराबी आने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी के जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर आर. जे. 18जी.बी.3636 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिलाये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी सहायक लोक अभियोजक ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी का वाहन ट्रक राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 कृत्य जुर्म धारा 3,5,6,8व9 की तारीफ में आना पाये जाने पर प्रार्थी के वाहन ट्रक नम्बर आर. जे. 18 जी.बी.3636 को पुलिस थाना सैपऊ द्वारा दिनांक 15.03.2022 को जप्त किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना सैपऊ के पत्र कमांक 495 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि

उक्त जप्त शुदा वाहन ट्रक की बॉडी के अन्दर 28 नग जिन्दा नर सांड हिंसक रूप से बुरी तरह भरे पाये गये। उक्त गौवंश को लाने व ले जाने बावत लाईसेंस व परिमीशन संबधी कागजात नहीं पाये गये। इस हरकत से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मुल्जिम अंतराज्यीय गौवंश तस्करी करता है। मुख्तारनामा सुन्दरलाल छावरा ने असलम के नाम लिखा है परन्तु स्टाम्प 4 जनवरी 22 को इरफान के नाम से खरीदा गया है और लिखपडी 2.2.2022 को हुई है जब इरफान के नाम से स्टॉम्प खरीदा गया तो सुन्दरलाल छावरा इस स्टॉम्प का उपयोग नहीं कर सकता। स्टॉम्प का उपयोग इरफान को करना चाहिऐ था ना कि सुन्दरलाल छावरा को। उक्त मुख्तारनामा लिखापडी में असलम और तनवीर दोनो के नाम लिखा गया है। अतः उक्त मुख्तारनामा संदिग्ध प्रतीत होता है। वाहन चालक मुलजिम असलम पुत्र साबू के विरूद्व न्याया0 न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ में चार्जशीट नम्बर 257/2022 दिनांक 22.02.2022 को प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण में जप्त शुदा वाहन ट्रक को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया।प्रार्थी सुन्दरलाल छावरा ने प्रार्थना पत्र थाना सैपऊ में दर्ज एफ.आई. आर. नम्बर 72/2022 अन्तर्गत धारा 3,5,6,8 व 9 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर आर. जे. 18 जी. बी. 3636 को सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु पेश किया है। चूंकि जब्तशुद वाहन राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 की धारा 6क के तहत जब्त किया गया है एवं वाहन के स्वामी सुन्दरलाल छाबरा के द्वारा प्रकरण में यह समाधान नहीं करवा पाये है कि उनके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक सावधानी वरती थी। थानाधिकारी पुलिस थाना सैपऊ के द्वारा दिनांक 16.02.2024 प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि उक्त जप्त शुदा वाहन ट्रक की बॉडी के अन्दर 28 नग जिन्दा नर सांड हिंसक रूप से बुरी तरह भरे पाये गये। उक्त गौवंश को लाने व ले जाने बावत लाईसेंस व परिमीशन संबधी कागजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाये गये इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मुल्जिम अंतराज्यीय गौवंश तस्करी करता है।उक्त जप्तशुदा वाहन दिनांक 02.02.2022 से असलम पुत्र साबू को जरिये मुख्तारनामा आम (पॉवर ऑफ अटार्नी) से सुपुर्दगी में दिया जाना बताया है तथा अपने सम्पूर्ण देखरेख व चालाने के अधिकार दे रखे है। मुख्तारनामा सुन्दरलाल छावरा ने असलम के नाम लिखा है परन्तु

स्टाम्प 4 जनवरी 22 को इरफान के नाम से खरीदा गया है और लिखापढी 2.2.2022 को हुई है जब इरफान के नाम से स्टॉम्प खरीदा गया तो सुन्दरलाल छावरा इस स्टॉम्प का उपयोग नहीं कर सकता। स्टॉम्प का उपयोग इरफान को करना चाहिऐ था ना कि सुन्दरलाल छावरा को। उक्त मुख्तारनामा लिखापढी में असलम और तनवीर दोनो के नाम लिखा गया है। अतः उक्त मुख्तारनामा संदिग्ध प्रतीत होता है।उक्त प्रकरण में थानाधिकारी थाना सैपऊ द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ जिला धौलपुर में प्रकरण की अंतिम रिपोर्ट चालना संख्या 257/2022 दिनांक 22.02.2022 को मुल्जिम असलम पुत्र साबू वाहन चालक के विरूद्व पेश की जा चुकी है। उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊन्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये जब्तशुदा वाहन का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी सुन्दरलाल छावरा का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर